

एड का लाभ देय होगा।
संविदा सेवा हेतु अधिकतम आयु 59 वर्ष निर्धारित है।

- (ग) सरकारी भाषा का ज्ञान होना प्राथमिक।
 - (घ) कुल 05 वर्ष का संबंधित विषय विभाग में अध्यापन अनुभव जिसमें तीन वर्ष का अनुभव संबंधित विषय विभाग में व्याख्याता के रूप में।
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु-
कुल 08 वर्ष का संबंधित विषय विभाग में व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव जिसमें तीन वर्ष का अनुभव संबंधित विषय विभाग के पी.जी. पाठ्यक्रम में व्याख्याता का अनुभव या यू.जी. पाठ्यक्रम के संबंधित विषय विभाग में कुल 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक है।
- पांजीय- मर्से एवं पराक का मौखिक प्रकाशन।

1. लिखित विषयों के शिक्षक चयन के पदों हेतु चयन के एलाइड विषय की स्नातकोत्तर अर्हता मान्य होगी।
काय चिकित्सा, मौखिक सिद्धांत काय चिकित्सा, द्रव्यगुण
2. इच्छुक हस्त
3. आयु तंत्र
4. पर्याय विज्ञान/संविदा/इतिहास
5. शोष विज्ञान
6. रचना शरीर/क्रिया शरीर
7. शालाक्य
8. निजी प्रैक्टिस की अनुमति तत्कालीन शासकीय नीतियों के अनुसार होगी। गॉन-प्रैक्टिस एलाउन्स (एन.पी.ए.) म.प्र. राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा।
9. प्रथम तथा तत्संबंधी ज्ञान मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार संचारित होगा।
10. सेवा की अन्य शर्तें नहीं रहेंगी जो नियुक्ति आदेश में उल्लिखित होगी। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश, चयन समिति की अनुज्ञप्ति पर संबंधित स्वशासी महाविद्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जारी किए जाएंगे।
11. आवेदन शुल्क - मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो कि मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं, के लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर रूपए 500/- तथा शेष सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए रूपए 1000/- है। उपरोक्त शुल्क केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा जो कि आयुक्त भारतीय चिकित्सा प्रवृत्ति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश के नाम से बनवाकर भेजना आवश्यक है। प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
12. यात्रा व्यय - साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा।
13. किसी भी आवेदन पत्र/समूर्ण आवेदनों को किना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा।
14. आवेदन पत्र दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार भेजे।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, भारतीय चिकित्सा प्रवृत्ति एवं होम्योपैथी म.प्र. मंत्रालय का निर्णय मान्य होगा।
16. विज्ञापन तथा आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय भारतीय चिकित्सा प्रवृत्ति एवं होम्योपैथी म.प्र. मंत्रालय की वेबसाइट www.mpp.gov.in/dismh पर भी उपलब्ध रहेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,
आयुक्त
भारतीय चिकित्सा प्रवृत्ति एवं होम्योपैथी
अपर सेक्रेटरी, वि.पी.बी. सहायक मन्त्र
भोपाल - 462004 (म.प्र.)

अभिप्रेत
पासपोर्ट
साइज फोटो

विषय के पद पर नियमित/

संविदा/ नियमित एवं संविदा दोनों सेवाओं पर चयन हेतु आवेदन पत्र।

विज्ञापन क्रमांक जी दिनांक

समाचार पत्र

1. आवेदित पद का नाम
2. संवर्ग
3. महाविद्यालय प्राचिनिकता
4. बैंक ड्राफ्ट की राशि
5. बैंक का नाम
6. शाखा
7. ड्राफ्ट क्रमांक
8. दिनांक
9. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/डॉ.
10. आवेदक (लिंग) पुरुष/महिला
11. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)
12. माता का नाम (उपनाम सहित)
13. वर्तमान निवास स्थान का पता (दूरभाष नं., एस.टी.डी. कोड सहित)
14. स्थाई पता (दूरभाष नं., एस.टी.डी. कोड सहित)
15. जन्मतिथि (अंको में)
16. दिनांक
17. माह
18. वर्ष
19. दिनांक
20. माह
21. दिन
22. जन्म स्थान की जानकारी शहर/अ.ज.अ.ज.आ./अ.पि.न.
23. पिता
24. राज्य
25. श्रेणी/संवर्ग - अनारक्षित/अ.ज./अ.ज.आ./अ.पि.न.
(अरक्षित वर्ग का होने की स्थिति में स्थाई जाति, उपजाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
26. शैक्षणिक अर्हताएं :-

क्र.	परीक्षा का नाम	संख्या का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ प्रतिशत स्नातक प्रथम से अंतिम व्यावसायिक हस्त	राज्य या वि.वि. स्तरीय खेलकूद एन.सी.सी. प्रमाण पत्र सी/सी सर्टिफिकेट
1.	दसवीं बोर्ड						
2.	बारहवीं बोर्ड						
3.	बी.ए.एन. एस. प्रथम से अंतिम व्यावसायिक						
4.	एम.डी.						

15. संबंधित अर्हता का विवरण (अभिप्रेत प्रमाण संलग्न करें)

16. अनुभव

विषय में

माह

दिन

का अध्यापन अनुभव है। (प्रमाण पत्र की अभिप्रेत प्रमाण प्रति संलग्न करें, अनुभव की गणना शासकीय सेवा अवधि/ वि.वि. कोड 28 के अंतर्गत चयन के अनुसार ही मान्य होगी)

17. विश्वविद्यालय कोड 28/शासकीय महाविद्यालय में

विषय में

पद में चयन का दिनांक

(प्रमाण पत्र की सत्यपित छायाप्रति संलग्न करें)

17. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

विकल्प

(1) मैं केवल नियमित सेवा हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ।

(2) मेरा आवेदन नियमित एवं संविदा दोनों ही सेवाओं के लिए स्वीकार किया जाए। यदि साक्षात्कार में मुझे अरक्षित पद के विरुद्ध संविदा सेवा के लिए चयनित किया जाता है तो मुझे आवेदित पद पर संविदा सेवा स्वीकार होगी। (जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाये)

हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्ण सत्य है। जानकारी असत्य पाए जाने पर या सत्य जानकारी मेरे द्वारा छुपाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये तथा यदि मेरी नियुक्ति की गई हो तो मेरी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायें।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नई राहों पर बढ़ते जाएं, आओ मध्यप्रदेश बनाएं

Handwritten signature

डॉ. संतोश शर्मा
प्र. संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष
भोपाल (म.प्र.)

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 6808 से संबंधित प्रश्नांश 'घ' का
परिशिष्ट 'ब'

स0क0	प्राप्त शिकायत	शिकायत के मुख्य बिन्दु	संचालनालय द्वारा की गई कार्यवाही
1	कार्यालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का ज्ञापन दिनांक 24/12/13 ।	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध विज्ञापन निकाले बिना इन पदों पर अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों की नियमित वेतनमान पर की गई नियुक्ति।	शिकायती बिन्दुओं के संबंध में अद्यतन वस्तुस्थिति की जानकारी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित की गई।
2	डॉ0 जनक मिश्रा का शिकायती पत्र दिनांक 07/12/16 ।	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर में डॉ0 रवि कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ0 निधि श्रीवास्तव की नियुक्ति की जाँच कराये जाने के संबंध में।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ0 सतीश चन्द्र शर्मा)
प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0